

## महत्वपूर्ण उपलब्धि जिला - नवादा

1. दिनांक-18.11.2015 को लूट की योजना बनाते हुए 04 अपराधकर्मी 1. अमृत राज, पिता मनोज कुमार, सा0 चोंदपुर, थाना, वारिसलीगंज, जिला नवादा 2. अनुराग उर्फ मोनू, पिता शैलेन्द्र प्रसाद, सा0 नाफी गली, थाना वारिसलीगंज, जिला नवादा 3. रवि कुमार लालू, पिता फाखर साव, सा0 भाफीगली, थाना वारिसलीगंज, जिला नवादा एवं 4. राहुल कुमार, पिता बाल्मिकी सिंह को 04 जिन्दा बम, 01 पिस्टल, 01 देशी कट्टा, 02 कारतूस व 04 मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संदर्भ में वारिसलीगंज थाना कांड सं0- 273/15, दिनांक-17.11.2015, धारा-25(1-बी)/ए 26 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम अंकित किया गया है।
2. दिनांक-08.11.2015 को नगर थाना अन्तर्गत भदौनी गोंव से एक अर्द्धनिर्मित मकान में रजौली के ज्वेलर्स व्यवसायी से लूट व हत्या का प्लान बनाते 03 अपराधकर्मी 1. उपेन्द्र राजवंशी, पिता सरयू राजवंशी, सा0 गलवाती, थाना सतगोंव, जिला कोडरभा (झारखण्ड) 2. पिन्दु कुमार, पिता रामनाथ सिंह, सा0 टकुआटोंड, थाना रजौली, जिला नवादा एवं 3 उतम कुमार, पिता भवेश साव, सा0 कौआकोल रोड, थाना कौआकोल, जिला नवादा को 01 देशी कट्टा, 02 कारतूस एवं 02 मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में नगर थाना कांड सं0-705/15, दिनांक-08.11.2015, धारा-120बी भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट अंकित किया गया है।
3. दिनांक-20.11.2015 को कौआकोल थाना के अति गकरल प्रभावित महुलियाटोंड तथा झिलार गोंव में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत गरीब एवं अराहाय बच्चों के बीच स्कूल बैग, किताब, कॅंपी, पेन्सिल इत्यादि का वितरण किया गया।
4. नगर थानान्तर्गत दिनांक-16.09.2015 को सुरेन्द्र प्रसाद, पिता राजकुमार महतो, सा0 साहबबक, थाना नगर, जिला नवादा को 02 देशी रायफल, 02 कारतूस, 200 एम0एल0 देशी शराब का 100 बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संदर्भ में नगर थाना कांड सं0-611/15, दिनांक-16.09.2015, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट तथा 47 (ए) उत्पाद अधिनियम अंकित किया गया है।
5. पंजाब नेशनल बैंक, नवादा की डकैती की योजना का सूत्रधार नगर थाना कांड सं0-06/15, दिनांक-03.01.2015, धारा- 399/402/120बी भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रिनी उर्फ अमीत कुमार, पिता स्व0 ललन विश्वकर्मा, गा0 राजेन्द्र नगर, थाना नगर, जिला नवादा को 04 पिस्तौल, 06 कारतूस, 04 मोबाईल एवं 01 टाटा इंडिका गाडी के साथ गिरफ्तार किया गया।
6. दिनांक-10.09.2015 को गोविन्दपुर थानान्तर्गत विरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता काशीनाथ महतो, सा0 कलीडीह, थाना सतगोंवा, जिला कोडरभा (झारखण्ड) के पास से एक देशी कट्टा, एक जिन्दा कारतूस, एक मोटरसाईकिल एवं 39 सौ 90 रुपया के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संदर्भ में गोविन्दपुर थाना कांड सं0-90/15, दिनांक-10.09.2015, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट अंकित किया गया है।
7. दिनांक-03.09.2015 को अकबरपुर थानान्तर्गत अनील मॉड्री, पिता स्व0 गोपी मॉड्री, सा0 धनौल, थाना अकबरपुर, जिला नवादा के पास से एक देशी स्टेनगन, 02 कारतूस बरामद किया गया, जिसके संदर्भ में अकबरपुर थाना कांड सं0-218/15, दिनांक-04.09.2015, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट अंकित किया गया है।